भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3392
दिनांक 12 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कर्मियों को सुविधाएं

3392. डॉ॰ वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के आंगनवाड़ी कर्मियों को पर्याप्त वेतन/पारिश्रमिक, स्मार्ट फोन, मेडिकल सुविधाएं और पोषक खाद्य प्रदान किया जाता है और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत गरीब और गर्भवती महिलाओं जैसे लाभार्थियों को पोषण प्रदान करने हेतु एक साझा एप्लीकेशन तैयार करने हेतु 'आधार' की मदद से एक सॉफ्टवेयर विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार उक्त कार्यक्रम के तहत समुचित पंजीकरण प्रक्रिया सहित पोषण संबंधी परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की योजना बना रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : आंगनवाड़ी सेवाएं {अम्ब्रैला समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम}, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को स्थानीय समुदाय से अवैतनिक कर्मियों के रूप में परिकल्पना करती हैं जो बालकों की देखरेख और विकास के क्षेत्र में, अंशकालिक आधार पर, अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आती हैं । अवैतनिक कर्मी होने के नाते उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है ।

सरकार ने हाल ही में मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) का मानदेय 3000 रूपये से बढ़ाकर 4500 रूपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2250 रूपये से बढ़ाकर 3500 रूपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ाकर 2250 रूपये कर दिया है तथा 1 अक्तूबर, 2018 से आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रूपये प्रतिमाह का निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन शुरू किया है । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां पोषण अभियान के तहत आईसीडीएस-सीएएस का प्रयोग करने के लिए 500/- रुपये प्रतिमाह के प्रोत्साहन के लिए भी हकदार हैं । इसके अतिरिक्त, कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को, उन्हें सौंपे

गए किसी भी अतिरिक्त कार्य के लिए, अतिरिक्त मानदेय दे रहे हैं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकओं को दिए गए अतिरिक्त मानदेय दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट है ।

सामाजिक सुरक्षा लाभों के तहत 18-50 वर्ष की आयु वर्ग वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अन्तर्गत् 2.00 लाख रूपए के जीवन बीमा के तहत कवर्ड हैं; 18-59 वर्ष के आयु वर्ग वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां/आंगनवाड़ी सहायिकाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अन्तर्गत 2.00 लाख/ 1.00 लाख रूपए के दुर्घटना बीमा के तहत कवर्ड हैं और 51-59 वर्ष के आयु वर्ग (01.06.2017 से समाप्त वर्ग) वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां/आंगनवाड़ी सहायिकाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना (एकेबीवाई) के अन्तर्गत् 30,000 रूपए के जीवन बीमा के लिए कवर्ड हैं । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को महिला संबंधी गंभीर बिमारी की पहचान होने पर उसके निदान के लिए 20,000/- रूपए की राशि का लाभ भी देय होता है; और कक्षा 9 से 12वीं तक (आईटीआई कोर्स सहित) पढ़ने वाले उनके बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को ये सामाजिक सुरक्षा लाभ एलआईसी के सहयोग से दिए जा रहे हैं ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत पूरक पोषण के लिए भी हकदार हैं । पोषण के लिए माप वही है जो गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए है ।

पोषण अभियान फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लेडी सुपरवाइजर्स को स्मार्ट फोन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है । पोषण अभियान के तहत आईसीडीएस-कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो डाटा कैप्चर को सक्षम बनाता है, नियत सेवा प्रदान करता है और जहां भी आवश्यक हो, हस्तक्षेप के लिए संकेत देता है । सॉफ्टवेयर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मोबाइल फोन पर क्षेत्र से डाटा कैप्चर करने की अनुमति देता है । यह आईसीडीएस सेवा वितरण हस्तक्षेपों और लाभार्थियों में पोषण परिणामों पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्र करना सक्षम बनाता है ।

यह डाटा/सूचना तदन्तर वैब-आधारित आईसीडीएस-सीएएस डैशबोर्ड पर न्यूनतम वास्तविक समय के आधार पर निगरानी के लिए ब्लॉक, जिला, राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक पर्यवेक्षी कर्मचारियों के पास उनके स्तर पर कार्रवाई करने और निर्णयन के लिए उपलब्ध होता है । डैशबोर्ड डाटा को डिस्पले करता है और विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को व्याख्या करने तथा सेवा प्रदायगी में सुधार करने के लिए नतीजों का इस्तेमाल करने के लिए रिपोर्ट प्रदान करता है । यथा दिनांक 30.06.2019 तक 3.54 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां अनुलग्नक-II में दिए गए विवरण के अनुसार 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आईसीडीएस-सीएएस एप्लिकेशन का उपयोग कर रही हैं ।

(घ) : जी नहीं ।

(ड) : प्रश्न नहीं उठता ।

*****

अनुलग्नक-**I**

'आंगनवाडी क र्मयों को सु वधाएं' के वषय में डा. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता तथा श्रीमती वांगा गीता वश्वनाथ द्वारा द्वारा दिनांक 12.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सथा अतारां कत प्रश्न संख्या 3392 के उत्तर के भाग (क) में संद र्भत ववरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया अतिरिक्त मानदेय (रुपयो में)	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू)	आंगनवाड़ी सहायिकाएं(एडब्ल्यूएच)
1.	अंडमान और निकोबार	3000	2500
2.	आंध्र प्रदेश	1200	700
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	असम	2000	1000
5.	बिहार	750	375
6.	चंडीगढ़	2000	1000
7.	छत्तीसगढ़	2000	1000
8.	दादरा एवं नगर हवेली	1000	600
9.	दमन और दीव	1000	600
10.	दिल्ली	6678	3339
11.	गोवा	3062-11937*	3000-6000*
12.	गुजरात	3300	1700
13.	हरियाणा	7286-8429*	4215
14.	हिमाचल प्रदेश	1750	900
15.	जम्मू और कश्मीर	600	340
16.	झारखंड	1400	700
17.	कर्नाटक	5000	2500
18.	केरल	2000	2000
19.	लक्षद्वीप	3000	2000
20.	मध्य प्रदेश	7000	3500
21.	महाराष्ट्र	2000	1000
22.	म णपुर	100	50
23.	मेघालय	शून्य	शून्य
24.	ओ डशा	1000	500
25.	पुद्दुचेरी	600	300
26.	पंजाब	2600	1300
27.	राजस्थान	1724-1736*	1065
28.	सक्किम	2225	1500
29.	उत्तराखंड	3000	1500
30.	पश्चिम बंगाल	1300	1300
31.	उत्तर प्रदेश	1000	500
32.	नागालैंड	शून्य	शून्य
33.	मजोरम	294-306*	150
34.	त मलनाडु	6750 (इसमें – वेतन-2500, ग्रेड वेतन-500, और महंगाई भत्ता-3750 शा मल है)	4275 (इसमें वेतन-1500, ग्रेड वेतन-400 और महंगाई भत्ता-2375 शा मल है)
35.	तेलंगाना	10500	6000
36.	त्रिपुरा	2865	1924

***** योग्यता और/या सेवा वर्षों की संख्या पर आधारित

अनुलग्नक- II

'आंगनवाड़ी कर्मियों को सुविधाएं' के बारे में डा. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता तथा श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा द्वारा दिनांक 12.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सथा अतारांकित प्रश्न संख्या 3392 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीडीएस-सीएएस एप्लिकेशन के माध्यम से कवर की गई आंगनवा ड़यों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1637
2.	आंध्र प्रदेश	55560
3.	बिहार	25500
4.	चंडीगढ़	450
5.	छत्तीसगढ	10473
6.	दादरा और नागर हवेली	303
7.	दमन और दीव	102
8.	हिमाचल प्रदेश	7591
9.	झारखंड	10701
10.	मध्य प्रदेश	27799
11.	महाराष्ट्र	106400
12.	मेघालय	56
13.	मजोरम	2169
14.	नागालैंड	3300
15.	पुडुचेरी	836
16.	राजस्थान	18730
17.	सक्किम	819
18.	तमल नाडु	18573
19.	तेलंगाना	10972
20.	उत्तर प्रदेश	50537
21.	उत्तराखंड	1534
		3,54,042